


५

3-1-2-19

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवानों
दिलवाई गई परन्तु वादी की तरफ से
वादी के काम में सुकाम या वकील कोई
उपाय नहीं है। अतः गांधी की अदम
टाकरी एवं अदम पैरवी में गांधी का
T-I. प्राप्त पत्र रखा है। किया गया।
पत्रावली के सल सुभार होकर दम
बाबर से काम हो। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

